लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

(नैक द्वारा A++ प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या :................................/सम्बद्धता अनु./2026

दिनांक :..

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय ज्ञाप

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 2(13) के अधीन विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति की मान्यता/अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। इस सम्बन्ध में अशासकीय सहायता प्राप्त सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्धकगणों के साथ सम्पन्न हुयी बैठक में मा0 कुलपति महोदय द्वारा भी प्रबन्ध समिति का अनुमोदन सत्रारम्भ से पूर्व कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी जिसके कार्यवृत्त की प्रति महाविद्यालयों को पृष्ठांकित है।

अतः जिन सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति अद्यतन विश्वविद्यालय से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त नहीं है *अथवा पूर्व अनुमोदन कालातीत हो चुका है, के सम्बन्ध में मुझे यह* कहने का निर्देश हुआ है कि विहित प्रकियानुसार विधिवत् निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित प्रबन्ध समिति की मान्यता/अनुमोदन हेतु सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से **सत्रारम्भ से पूर्व** प्राप्त करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय के किसी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं होगा। विश्वविद्यालय से प्रबन्ध समिति की मान्यता/अनुमोदन के लिए निम्नलिखित अभिलेखों/विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

1. संचालन संस्था के नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं संस्था के संविधान अथवा महाविद्यालय की प्रशासनिक योजना जिसके अनुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव किया गया हो, की छायाप्रति।
2. चुनाव हेतु निर्गत नोटिस/एजेण्डा की छायाप्रति।
3. चुनाव हेतु सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त जिस पर उपस्थित सदस्यों **एवं विश्वविद्यालय से नामित पर्यवेक्षक** के हस्ताक्षर हों, की छायाप्रति।
4. संचालक संस्था के सचिव/प्रबन्धक की ओर से इस आशय का रू0 50–के स्टैम्प पर शपथ पत्र कि ''निर्वाचित प्रबन्ध समिति में कोई विवाद नहीं है तथा निर्वाचित प्रबन्ध समिति के सदस्य अथवा पदाधिकारी आपस में सगे सम्बन्धी/रिस्तेदार नहीं हैं'' मूलरूप में संलग्न किया जाय।
5. संस्था के आम सभा के सदस्यों की सूची।
6. महाविद्यालय की निर्वाचित प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची उनके पिता/ पति के नाम व पता सहित।
7. निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों के आधार कार्ड की नामित पर्यवेक्षक से सत्यापित छायाप्रति।

कृपया समय सीमा का विशेश ध्यान रखें।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या : AF-9323-27 दिनांक : 20/05/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों (लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली एवं लखीमपुर खीरी) को ई–मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, समस्त उपरोक्त सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालय को अनुपालनार्थ।
5. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय, ल0वि0वि0।
6. गार्ड फाईल।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव